न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: के.आर.खौड आर.ए.एस.)

आवेदक

राजस्थान राज्य जरिये श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

1. नरेन्द्र सिंह पुत्र गुमान सिंह, जाति– राजपूत, निवासी– नया बाजार, भाटकडा, सिरोही, जिला– सिरोही
   (खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक)

फर्म:- आदर्श एजेन्सी, स्वरुप नगर, भाटकडा, सिरोही, जिला– सिरोही

2. भोजराज बसरमालनी पुत्र फतेहचंद बसरमालनी, निवासी–446, राधिका रेसीडेन्सी प्रथम, सिरोही, जिला– सिरोही
   (खाद्य कारोबारकर्ता एवं सप्लायर)

फर्म:- राधा सेल्स एजेन्सी, 446, राधिका रेसिडेन्सी प्रथम, सिरोही, जिला– सिरोही

3. Kailash Kukreti, Bikanerwala Foods Pvt. Ltd., A-28 Lawrence Road Industrial Area, New Delhi-110035
   (खाद्य कारोबारकर्ता एवं नॉमिनी निर्माता फर्म)

फर्म:- Bikanerwala Foods Pvt. Ltd.,
Plot No.42 (Khasra No.661-662), Ecotech II, Udyog Vihar,
Gautam Budha Nagar, Greater Noida-201306(U.P.)

4- Bikanerwala Foods Pvt. Ltd.,
Plot No.42 (Khasra No.661-662), Ecotech II, Udyog Vihar,
Gautam Budha Nagar, Greater Noida -201306(U.P.)

प्रकरण संख्या: 13/2021

"अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा– 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 "

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री रमन मिश्रा, प्रतिवादीगण की ओर से
2. श्री बैद्यनाथ मिश्रा, सहायक प्रबन्धक, बीकानेर वाला फूडस प्रा.लि.

-: निर्णय :- **दिनांक 11 फरवरी, 2022**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 12.2.2020 को 4.00 पी.एम. पर फर्म आदर्श एजेन्सी, स्वरुप नगर, भाटकडा, सिरोही, जिला– सिरोही पर पँहुचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से नरेन्द्र सिंह पुत्र गुमान सिंह, जाति– राजपूत, निवासी– नया बाजार, भाटकडा, सिरोही, जिला– सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को प्रोपराईटरी फूड भुजिया (बिकानो [illegible] विक्रय करता है। आवेदक [illegible] दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:07:57 IST
Reason: SelfAttested

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले प्रोपराईटरी फूड भुजिया (बिकानो ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की एवं दुकान के अन्दर आलमारी की रैक में विक्री हेतु मौजूद प्रोपराईटरी फूड भुजिया (बिकानो ब्राण्ड) के 173 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 400 ग्राम) में से 4 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 400 ग्राम) प्रोपराईटरी फूड भुजिया (बिकानो ब्राण्ड) के जांच हतु खरीदे एवं प्रोपराईटरी फूड भुजिया (बिकानो ब्राण्ड) की कीमत राशि रुपये 288/- खाद्य कारोबारकर्ता को अदा कर खरीद बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी के कोड व क्रमांक S-1111, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर विक्रेता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। चारों खरीद शुदा नमूना पाउचों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1111 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता नरेन्द्र सिंह व गवाहान ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये व मैनें स्वयं ने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। फिर कार्यालय पॅहुच कर फार्म नंबर 6 की 8 प्रतियां तैयार की व उन पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नंबर 6 की एक एक प्रति लगाकर चारो नमूना भागों को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा व नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नंबर 6 की दो प्रतियां अलग से दो लिफाफे में रखकर सील चपडी से सिल्ड किया एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 13.2.2020 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नं. 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री महेन्द्र कुमार, स्वीपर, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य धिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधुपर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 12.2.2020 को शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिरोही को मेरे द्वारा जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो असल संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से प्रोपराईटरी फूड भुजिया (बिकानो ब्राण्ड) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता नरेन्द्र सिंह से जांच हेतु लिया गया प्रोपराईटरी फूड भुजिया (बिकानो ब्राण्ड) का नमूना S-1111 अमानक (Sub Standard) पाया गया है। जांच रिपोर्ट की प्रति खाद्य कारोबारकर्ता नरेन्द्र सिंह एवं निर्माता फर्म को जांच रिपोर्ट प्रेषित कर जांच

....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:07:57 IST
Reason: SelfAttested

से असंतुष्ट होने की स्थिति पुनः जांच हेतु प्रारुप 8 में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु सचित किया, लेकिन संबंधित ने पुनः जांच हेतु आवेदन नही किया। इस प्रकरण से संबंधित समस्त मूल कागजात मय गजट नोटिफिकेशन, पदस्थापन आदेश, एरिया नोटिफिकेशन के साथ अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये। अभिहित अधिकारी ने पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन कर प्रतिवादीगण के द्वारा अमानक (Sub-standard) प्रोपराईटरी फूड भुजिया (बिकानो ब्राण्ड)के विक्रय को उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण ने अमानक (Sub-standard) प्रोपराईटरी फूड भुजिया (बिकानो ब्राण्ड) का विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंधन किया है। अतः प्रतिवादीगण पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना किया जावे।

(2) प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रमन मिश्रा उपस्थित हुये एवं निर्माता फर्म की ओर से श्री बैद्यनाथ मिश्रा, सहायक प्रबन्धक, बीकानेर वाला फूड्स प्रा.लि. उपस्थित हुये एवं निर्माता फर्म बीकानेर वाला फूड्स प्रा.लि. का अधिकृत पत्र प्रस्तुत किया। प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से जवाब भी प्रस्तुत हुआ।

(3) प्रकरण में बहस हेतु नियत तिथि 08.2.2022 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा उपस्थित नही हुये। बहस हेतु नियत तिथि 08.2.2022 को प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री रमन मिश्रा व निर्माता फर्म बीकानेरवाला फूड्स प्रा.लि. के सहायक प्रबन्धक श्री बैद्यनाथ मिश्रा उपस्थित हुये। बहस के दौरान प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर से ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रोपराईटरी फूड भुजिया (बिकानो ब्राण्ड) के नमूनीकरण की कार्यवाई विधि अनुरुप नही की गई है। अभिहित अधिकारी तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निर्माता फर्म बीकानेरवाला फूड्स प्रा.लि. को खाद्य विश्लेषक, जोधपुर के जांच रिपोर्ट की प्रति नही भिजवाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 46(4) की पालना नही की है, जिसके कारण निर्माता फर्म को प्रोपराईटरी फूड भुजिया (बिकानों ब्राण्ड) के नमूनें के द्वितीय भाग की रेफरल लेब से जांच कराने का अधिकार नही मिला है, इसलिये आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब तथा न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया कि दिनांक 12.2.2020 को 4.00 पी.एम. पर आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा फर्म के निरीक्षण हेतु फर्म

पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:07:57 IST
Reason: SelfAttested

आदर्श एजेन्सी, स्वरुप नगर, भाटकडा, सिरोही, जिला- सिरोही पर गये। उक्त फर्म आदर्श एजेन्सी, स्वरुप नगर, भाटकडा, सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता व मालिक की हैसियत से नरेन्द्र सिंह पुत्र गुमान सिंह, जाति- राजपूत, निवासी- नया बाजार, भाटकडा, सिरोही.. जिला- सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को प्रोपराईटरी फूड भुजिया (बिकानों ब्राण्ड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त फर्म आदर्श एजेन्सी के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग में आने वाले प्रोपराईटरी फूड भुजिया (बिकानों ब्राण्ड) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना कय करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष खाद्य कारोबारकर्ता नरेन्द्र सिंह को प्रपत्र संख्या 5ए में भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने गवाहान के समक्ष दुकान के अन्दर बिक्री हेतु मौजूद प्रोपराईटरी फूड भुजिया (बिकानों ब्राण्ड) के 173 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 400 ग्राम) में से प्रोपराईटरी फूड भुजिया (बिकानों ब्राण्ड) के 4 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 400 ग्राम) को नमूना जांच हेतु क्रय किये एवं उसकी कीमत राशि 288/- (अक्षरे रुपये दो सौ अठासी मात्र) विक्रेता नरेन्द्र सिंह को नकद अदा कर खरीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर खाद्य कारोबारकर्ता नरेन्द्र सिंह, उक्त गवाह एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं कमांक S-1111, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर खाद्य कारोबारकर्ता नरेन्द्र सिंह व गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये एवं खरीद शुदा चारों नमूना पाउचेज पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया तथा चारों नमूनाा भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1111 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहान के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूनों भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की गई। मौका फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबाकरर्ता नरेन्द्र सिंह, उक्त गवाह एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ कय का बिल एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म आदर्श एजेन्सी, स्वरुप नगर, भाटकडा, सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता नरेन्द्र सिंह से प्रोपराईटरी फूड भुजिया (बिकानों ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी [illegible] फूड भुजिया (बिकानों [illegible] पांच पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:07:57 IST
Reason: SelfAttested

सिरोही 307001

ब्राण्ड) के चारों नमूना भागों को साथ लेकर कार्यालय पँहुचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की तथा चारों नमूना भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नम्बर- 6 की दो-दो प्रतियां अलग से दो लिफाफे में रखकर सिल चपडी से सिल्ड किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 13.2.2020 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा श्री महेन्द्र कुमार, स्वीपर, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग व फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफावे को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 12.2.2020 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। विचारणीय प्रकरण में प्रोपराईटरी फूड भुजिया (बिकानों ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1111 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण रिपोर्ट क्रमांक:L.S./112/Act/2020/112 दिनांक 25.2.2020 के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म आदर्श एजेन्सी, स्वरुप नगर, भाटकडा, सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता नरेन्द्र सिंह से वास्ते जांच कय किया गया प्रोपराईटरी फूड भुजिया (बिकानों ब्राण्ड) का नमूना S-1111 अमानक (Sub-standard) पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह भी स्पष्ट है कि अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पत्र क्रमांक:एफएसएसए/2020/111-114 दिनांक 05.3.2020 से खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट की प्रति प्रतिवादी नरेन्द्र सिंह व निर्माता फर्म बीकानेरवाला फूड्स प्रा.लि. को प्रेषित कर पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर आवेदन प्रारुप 8 में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया है, लेकिन संबंधित ने अभिहित अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत नही किया। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी नरेन्द्र सिंह की फर्म आदर्श एजेन्सी, स्वरुप नगर, भाटकडा, सिरोही ने प्रोपराईटरी फूड भुजिया (बिकानों ब्राण्ड) बीकानेर भुजिया के 400-400 ग्राम के पैक्ड पैकेटों को फर्म राधा सेल्स एजेन्सी, 446, राधिका रेसिडेन्सी प्रथम, सिरोही से टेक्स इनवोईस/बिन नम्बर 84 दिनांक 31.1.2020 के द्वारा क्रय किये गये, जो प्रतिवादी भोजराज बरसमालनी की फर्म है। प्रतिवादी भोजराज बरसमालनी की फर्म राधा सेल्स एजेन्सी, 446 राधिका रेसिडेन्सी प्रथम, सिरोही ने प्रोपराईटरी फूड भुजिया (बिकानों ब्राण्ड)के 400-400 ग्राम के पैक्ड पैकेटों को फर्म बीकानेरवाला फूड्स प्रा.लि., प्लॉट नम्बर 42, उद्योग विहार, गौतम बुद्ध नगर, गेटर नोयडा से टेक्स बिल/टेक्स इनवोईस नम्बर 1901610868 दिनांक 24.1.2020 के द्वारा क्रय किये गये है, जो प्रोपराईटरी फूड भुजिया (बिकानों ब्राण्ड) की [illegible] है। खाद्य सुरक्षा एवं

....पेज छः पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:07:57 IST
Reason: SelfAttested

मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व विनिर्माता के दायित्व दिये हुए है, इसके अनुसार अमानक खाद्य सामग्री के निर्माण, पैकिंग एवं विक्रय हेतु मुख्य रुप से विनिर्माता फर्म दोषी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 51 के तहत अमानक (Sub-standard) प्रोपराईटरी फूड भुजिया (बिकानों ब्राण्ड) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु निर्माता फर्म Bikanerwala Foods Pvt. Ltd, Plot No.42 (Khasra No.661-662), Ecotech II, Udyog Vihar, Gautam Buddha Nagar, Greater Noida-201306 (U.P.).), Corporate Office: Bikanerwala Foods Pvt. Ktd., A-28, Lawrence Road, Industrial Area, New Delhi-110035 पर राशि रुपये 25,000/- (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। निर्माता फर्म Bikanerwala Foods Pvt. Ltd के नॉमिनी Kailash Kukreti तथा अधिकृत प्रतिनिधि श्री बैद्यनाथ मिश्रा, सहायक प्रबन्धक, बीकानेरवाला फूड्स प्रा.लि. को आदेशित किया जाता है कि निर्माता फर्म Bikanerwala Foods Pvt. Ltd पर अधिरोपित शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में अलग-अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिवस के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर.खौड)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:07:57 IST
Reason: SelfAttested